सं. 11/1/2020-वक्फ

भारत सरकार

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय

11वीं मंजिल, पं. दीनदयाल अंत्योदय भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स,

लोधी रोड, नई दिल्ली-110003

दरगाह ख्वाजा साहेब (डीकेएस), अजमेर में नाजिम के पद के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। दरगाह ख्वाजा साहेब अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत एक वैधानिक निकाय है। यह पद केंद्र सरकार में उप सचिव (सातवें सीपीसी के अनुसार स्तर-12) के समकक्ष है और इसे विदेशी प्रतिनियुक्ति आधार/अल्पकालिक अनुबंध के आधार पर भरा जाना है।

2. विस्तृत विज्ञापन, आवेदन प्रारूप आदि मंत्रालय की वेबसाइट अर्थात् www.minorityaffairs.gov.in पर उपलब्ध हैं।

3. भरे हुए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि रोजगार समाचार में इस विज्ञापन के प्रकाशन की तारीख से 30 दिन है।

मो. नदीम

अवर सचिव (दरगाह)

सं. 11/1/2020-वक्फ
भारत सरकार
अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय
11वीं मंजिल, पं. दीनदयाल अंत्योदय भवन,
सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड,
नई दिल्ली-110003
दिनांक: 31 जुलाई, 2023

कार्यालय ज्ञापन

विषय:- दरगाह ख्वाजा साहेब, अजमेर में नाजिम के पद को विदेशी प्रतिनियुक्ति आधार/अल्पकालिक अनुबंध आधार पर भरने के संबंध में।

अधोहस्ताक्षरी को सूचित करने का निर्देश दिया गया है कि अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार नाजिम, दरगाह ख्वाजा साहेब, अजमेर के पद के लिए योग्य उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित करता है, जो दरगाह ख्वाजा साहेब अधिनियम, 1955 के अनुसार एक वैधानिक पद है। दरगाह ख्वाजा साहेब, अजमेर अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत वैधानिक निकाय है। यह पद विदेशी प्रतिनियुक्ति के आधार पर/अल्पकालिक अनुबंध के आधार पर भरा जाएगा और निम्नलिखित मानदंडों को पूरा करने वाले अधिकारी/सेवानिवृत्त अधिकारी उक्त पद के लिए आवेदन कर सकते हैं;

अनिवार्य योग्यताएं एवं अनुभव	अभ्यर्थी को चाहिए: क) केंद्र सरकार/राज्य सरकार/केंद्रीय या राज्य स्वायत्त निकाय/ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/सशस्त्र बल/केंद्रीय अर्ध-सैन्य बलों में उप सचिव (स्तर-12) के समकक्ष पद पर सेवारत या सेवानिवृत्त व्यक्ति हो, और ख) वेतन स्तर-11 पर कम से कम 5 साल की सेवा, प्रशासनिक, कानूनी, राजस्व और वित्तीय मामलों का अनुभव, जिससे उन्हें केंद्र सरकार और राजस्थान सरकार के विभिन्न विभागों के साथ संपर्क करने की अनुमति मिल सके। ग) हनफ़ी मुस्लिम और भारतीय नागरिक होना चाहिए, घ) ख्वाजा साहेब, अजमेर का श्रद्धालु होना चाहिए; और ङ) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम से कम स्नातक उपाधि प्राप्त और उर्दू का कार्यसाधक ज्ञान होना चाहिए।
आयु:	आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि पर अधिकारी की आयु 56 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। हालांकि सेवानिवृत्त व्यक्तियों के मामले में आयु 63 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। उपर्युक्त पैराग्राफ 1 में वर्णित आवश्यक योग्यताओं

	और अनुभव की पूर्ति के अधीन योग्य मामलों में छूट दी जाएगी।
वांछनीय अर्हताएं:	संगठित केंद्रीय या राज्य सेवा/सशस्त्र बल/केंद्रीय अर्ध-सैन्य बल से संबंधित और कानूनी, प्रशासनिक, राजस्व और वित्तीय मामलों को संभालने में अनुभव रखने वाले अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी।
कार्यकाल:	प्रारंभिक नियुक्ति दो वर्ष की अवधि के लिए होगी। नियुक्ति की अवधि समय-समय पर बढ़ाई जा सकती है लेकिन किसी भी स्थिति में ऐसे व्यक्ति को 60 वर्ष की आयु से अधिक (सेवानिवृत्त व्यक्तियों के मामले में 65 वर्ष से अधिक नहीं) नाजिम के रूप में कार्य करना जारी रखने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
वेतन एवं अन्य भत्ते:	यदि नाजिम के रूप में नियुक्ति के लिए चुना जाता है, तब केंद्र सरकार/राज्य सरकार/केंद्र या राज्य स्वायत्त निकाय/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/सशस्त्र बल/केंद्रीय अर्ध-सैन्य बलों में सेवारत अधिकारी का वेतन, संरक्षित किया जाएगा। वह इस वेतन स्तर में वेतन वृद्धि अर्जित करेगा, साथ ही उसे केंद्र सरकार के नियमों के अनुसार नाजिम के रूप में नियुक्त किया जाएगा। हालांकि, नाजिम के रूप में सेवा गैर-पेंशन योग्य है। यदि कोई अधिकारी जो केंद्रीय/राज्य स्वायत्त निकाय या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम से सेवानिवृत्त हुआ है और जो पेंशन अर्जित नहीं करता है, उसे नाजिम के रूप में नियुक्ति के लिए चुना जाता है तो नाजिम के रूप में उसके कार्यकाल के दौरान उसका वेतन केंद्र सरकार के नियमों के अनुसार वेतन वृद्धि के साथ वेतन स्तर-12 में उचित रूप से तय किया जाएगा। यदि एक सेवानिवृत्त व्यक्ति जो किसी भी स्रोत से पेंशन प्राप्त करता है, उसे नाजिम के रूप में नियुक्ति के लिए चुना जाता है, तो ऐसे व्यक्ति को पेंशन पर महंगाई राहत जैसे अन्य लाभों सहित पेंशन मिलती रहेगी और इसके अलावा समय-समय पर स्वीकार्य अंतिम वेतन से पेंशन और डीए घटाने के फार्मूले पर पारिश्रमिक का भुगतान किया जाएगा।
आवास:	नाज़िम को अजमेर में किराया-मुक्त आवास उपलब्ध कराया जाएगा।
आवागमन हेतु साधनः	नाज़िम को अपने कार्यों के निर्वहन हेतु एक कार भी उपलब्ध कराई जाएगी।
सामान्य शर्तें:	क) वर्तमान में केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/केन्द्रीय अथवा राज्य स्वायत्त निकायों/सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों/सैन्य बलों/केन्द्रीय अर्धसैनिक बलों में नियुक्त अभ्यर्थियों को उचित माध्यम से आवेदन करना चाहिए। ख) अभ्यर्थियों को सूचना प्राप्त होने पर स्वयं व्यक्तिगत साक्षात्कार के लिए उपस्थित होना होगा।

	ग) केन्द्र सरकार के पास उत्कृष्ट/विशेष रूप से पात्र अभ्यर्थियों को अर्हताओं/अनुभव तथा आयु-सीमा में छूट प्रदान करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।
आवेदन कैसे करें:	विधिवत भरा हुआ निर्धारित आवेदन पत्र और हस्ताक्षरित आवेदन पत्र (मूल रूप में) अग्रेषण पत्र के साथ उचित माध्यम से विज्ञापन के प्रकाशन की तारीख से 30 दिनों के भीतर निम्नलिखित प्राधिकारी को भेजा जाना चाहिए।
आवेदन अग्रेषित करने का पता:	आवेदन-पत्र मुहरबंद लिफाफे में निम्नलिखित पते पर भेजा जाना चाहिए और लिफाफे के ऊपर साफ-साफ अक्षरों में **"नाजिम के पद के लिए आवेदन"** लिखा होना चाहिए: अवर सचिव (दरगाह), अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, कमरा नंबर 1124बी, 11वीं मंजिल, पं. दीनदयाल अंत्योदय भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली 110003 ईमेल: **nadeem-upsc@nic.in**

2. जिन सेवारत अधिकारियों का आवेदन उचित माध्यम से प्राप्त हुआ है, उनके आवेदन पर ही इस पद के लिए विचार किया जाएगा।

3. यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

मो. नदीम

(मो. नदीम)
अवर सचिव, भारत सरकार

(i) भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग के सचिव
(ii) निदेशक, सीएस प्रभाग, DoP&T, खान मार्केट, नई दिल्ली - DoP&T की वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए
(iii) सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के सचिव
(iv) अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के अधीन सभी स्वायत्त निकाय
(v) वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एनआईसी, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय - अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए

*****